न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 387/2023

आतमराम पुत्र अर्जुनराम मेघवाल
मेघवालों का बास, हडवा
तहसील शिव, जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार शिव
जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 12 अप्रेल 2016 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 19/2007 सरकार बनाम आतमराम

उपस्थित–
श्री हनुमानसिंह भाटी
रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक :20 अगस्त, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 19/2007 में पारित आदेश दिनांक 12 अप्रेल 2016 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील मियादशुमार किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किय गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद विचारण न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि परगना अधिकारी बाडमेर द्वारा ग्राम हडवा के खसरा संख्या 536/90 रकबा 50 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 28 अक्तूबर 1972 को किया गया, उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलाण्ट–आवण्टी को मौके पर भौतिक कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया और नियमानुसार अपीलाण्ट द्वारा उक्त आवण्टित भूमि पर काश्त की जाती रही। मगर दिनांक 13 अप्रेल 2007 को तहसीलदार शिव द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश

कर उक्त आवण्टन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। वक्त आवण्टन अपीलाण्ट आवण्टन का पात्र था। दिनांक 09 जुलाई 1968 को ग्राम बरियाडा के खसरा संख्या 122 में 75 बीघा भूमि का अपीलाण्ट के हक में आवण्टन हुआ मगर मौके पर भौतिक कब्जरा 49 बीघा भूमि का ही अपीलाण्ट को सुपुर्द किया गया, उसके बाद ग्राम हडवा के खसरा संख्या 90/11 (536/90) की 50 बीघा भूमि का आवण्टन हुआ। स्वयं अपीलाण्ट का अपनी पैतृक भूमि में नोशनल शेयर 8 बीघा 14 बिस्वा होने के कारण अपीलाण्ट भूमिहीन की श्रेणी में आता है। अपीलाण्ट के पक्ष में भूमि आवण्टन के करीब 37 साल बाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय ही नहीं था क्योकि आवण्टित भूमि बाबत आवण्टी को खातेदारी अधिकार अर्जित होने के बाद नियम 14(4) की कार्यवाही के जरिये आवण्टन निरस्त कर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है। आवण्टित भूमि को अपीलाण्ट ने काफी श्रम, समय और धन लगाकर विकसित किया है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर आवण्टन निरस्त कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट का कथन है कि विचारण न्यायालय अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी, दिनांक 21 दिसम्बर 2017 को अपीलाण्ट द्वारा जमाबंदी की नकलें प्राप्त करने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया गया, तो पटवारी द्वारा बताया गया कि जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा आवण्टन निरस्त कर दिया गया है, तब अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त कर एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा में आलौच्य अपील प्रस्तुत कर दी, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वक्त आवण्टन अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था, फिर भी स्वयं के पास उपलब्ध भूमि का विवरण दर्शाये बिना मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा भूमि का आवण्टन करवा लिया गया। वक्त आवण्टन अपीलाण्ट का मौजा हडवा के खसरा संख्या 205 व 207 कुल रकबा 104 बीघा 10 बिस्वा में से 26 बीघा 02 बिस्वा भूमि नोशनल शेयर में आती थी, इसके अलावा पूर्व में दिनांक 09 जुलाई 1968 को भी 75 बीघा भूमि का आवण्टन अपीलाण्ट के पक्ष में किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में मिथ्या तथ्यों के आधार पर कपटपूर्वक कराया गया आवण्टन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिवत अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर अपीलाण्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के पेज संख्या 2 पर "अपील के आधार" शीर्षक के तहत बिन्दु संख्या 3 में दिनांक 09 जुलाई 1968 के स्वयं के पक्ष में

75 बीघा भूमि का आवण्टन होने का तथ्य अंकित किया गया है। इसके अलावा विचारण न्यायालय में हळका पटवारी के बयानों से भी वक्त आवण्टन अपीलाण्ट के पास अपीलाण्ट का मौजा हडवा के खसरा संख्या 205 व 207 कुल रकबा 104 बीघा 10 बिस्वा में से 26 बीघा 02 बिस्वा भूमि नोशनल शेयर में होना तथा पूर्व में दिनांक 09 जुलाई 1968 के स्वयं के पक्ष में 75 बीघा भूमि का आवण्टन प्रकट होता है। इतना ही नहीं, विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 20 से 24 पर उपलब्ध नकल निर्णय दिनांक 15 अक्तूबर 2005 (जो रेफरेंस संख्या 470/2003/एलआर/बाडमेर, जिसमें आतम पुत्र अर्जुन बतौर अप्रार्थी संख्या 4 पक्षकार संयोजित है,) से भी दिनांक 09 जुलाई 1968 के अपीलाण्ट के पक्ष में 75 बीघा भूमि का आवण्टन होने की ताईद होती है। इस प्रकार जाहिर है कि ग्राम हडवा के खसरा संख्या 536/90 रकबा 50 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 28 अक्तूबर 1972 को किये गये आवण्टन के समय अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था। जाहिर है कि इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपनी धारित भूमि को छिपाते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त आवण्टन प्राप्त किया गया। अदालत हाजा अधिवक्ता–रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि मिथ्या तथ्यों के आधार पर कपटपूर्वक कराया गया आवण्टन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अतः अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मियाद के बिन्दु भी पर अपील अपीलाण्ट निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है जिनकी उपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त अनुसार अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी होती है। अतः मियाद के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 अप्रेल 2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/08/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर